संख्या- 23 /2019/813/तीस-3-19-10बी/2018

प्रेषक,

विनोद कुमार,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

परिवहन आयुक्त,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

परिवहन अनुभाग-3 लखनऊ:दिनॉक 27 मार्च, 2019

विषय :- पुनर्विनियोग के माध्यम से प्रावधानित धनराशि को सम्भागीय परिवहन कार्यालय, कानपुर की भूमि क्रय के भुगतान हेतु वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-445ए/2019-96ए/2013, दिनॉक 19-03-2019 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सम्भागीय परिवहन कार्यालय कानपुर के भवन निर्माण हेतु कानपुर विकास प्राधिकरण, कानपुर से भूमि के क्रय हेतु पूंजीगत पक्ष में प्रावधानित धनराशि रू0 2179.50 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति शासनादेश संख्या-11/2019/648/30-3-19-10बी/2018, दिनांक 03-03-2019 द्वारा निर्गत की गयी है। उक्त के क्रम में शासनादेश संख्या-21/2019/674/30-3-19-10बी/2018, दिनांक 10-03-2019 द्वारा प्रश्नगत कार्य हेतु पुनर्विनियोग के माध्यम से रू0 213.08 लाख (रू0 दो करोड़ तेरह लाख आठ सौ मात्र) की धनराशि प्रावधानित की गयी। उक्त प्रावधानित धनराशि रू0 213.08 लाख सम्भागीय परिवहन कार्यालय कानपुर के भवन निर्माण हेतु कानपुर विकास प्राधिकरण, कानपुर से भूमि के क्रय हेतु ब्याज के रूप में प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत कर निम्नलिखित शर्तों और प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(1) भूमि की दरें एवं तत्क्रम में मूल्य का वेलिडेशन जिला अधिकारी/विकास प्राधिकरण आदि सक्षम स्तर से कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) उक्त स्वीकृत की जा रही धनराशि को व्यय करने से पूर्व वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018, दिनॉक 30-03-2018 में निहित निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

http://shasanadesh.up.nic.in

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक में परिवहन विभाग की अनुदान संख्या-43 के अन्तर्गत पूंजीगत पक्ष में लेखाशीर्ष-4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय -01-कार्यालय भवन-051-निर्माण-19-सम्भागीय परिवहन कार्यालय, कानपुर में भूमि का व्यय/भवन निर्माण-24-वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग द्वारा प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
ह0/-
(विनोद कुमार)
उप सचिव।

<u>संख्या-23/2019/813(1)/30-3-2019, तद्दिनॉक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- वित्त नियंत्रक, परिवहन आयुक्त कार्यालय, लखनऊ।
5- सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन), कानपुर।
6- वित्त (लेखा) अनुभाग-1
7- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-9
8- निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशालय, लखनऊ।
9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ह0/-
(विनोद कुमार)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in